भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19.10.2022 को आयोजित तिमाही बैठक के कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 19.10.2022

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 19.10.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में संयुक्त आयुक्त (रा.भा.), संयुक्त आयुक्त (लेखा परीक्षा) उप आयुक्त (का. व सत) और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के साथ मुख्यालय के सम्मलेन कक्ष से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। मुख्यालय के अनुभाग प्रमुख उप /सहायक आयुक्तों और मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्तों ने गूगल मीट - ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिया | बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया ।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened online with the Joint Commissioner (OL), Joint Commissioner (Audit),Deputy Commissioner (P&V) and Sr. Translation Officer in Hqrs. office on 19.10.2022 at 11.00 am under the Chairmanship of Shri Maneesh Kumar, Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi from Conference Hall at Hqrs. office. Deputy/Assistant Commissioners in charge of sections in Headquarters and divisional offices attended the meeting through Google Meet – Online. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	**अधिकारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती) Name of the Officer(S/Shri/ Smt)**	**पदनाम Designation**	**अनुभाग /मंडल Section/Division**
1	डॉ.जे. हरीश Dr. J. Harish	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	(रा.भा.) /(OL)
2	शाजि जॉन Shaji John	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
3	सी.टी. बिंदु C.T. Bindu	उप आयुक्त Deputy Commissioner	(का.व सत.) /(P&V)

4	हारिसण एंटणी Harrison Antony	उप आयुक्त Deputy Commissioner	अपवंचनरोधी, विधिक, सत्यापन Anti-Evasion, Legal, Verification
5	शांति वी Shanti V.	उप आयुक्त Deputy Commissioner	तकनीकी /आलुवा मंडल Tech./Aluva Division
6	माया चंद्रन Maya Chandran	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	लेखा परीक्षा, समीक्षा,सूचना अधिकार, प्रशिक्षण Audit, Review,RTI, Training
7	अनिल राज आर. Anil Raj R.	उप आयुक्त Deputy Commissioner	एर्णाकुलम मंडल Ernakulam Division
8	अजिता पी Ajitha P.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	काक्कनाड मंडल Kakkanad Division
9	एन. एस. जयश्री N. S. Jayasree	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	पेरुम्बावूर मंडल Perumbavoor Division
10	रॉय वर्गीस Roy Varghese	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	इडुक्की मंडल Idukki Division
11	माया कुरियन Maya Kurien	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	चालक्कुडी मंडल Chalakkudy Division
12	दीपक कुमार Deepak Kumar	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	त्रिश्शूर मंडल Thrissur Division
13	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत Smt. Rosalind Jose Thomas Koruthu	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी Senior Translation Officer	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।
The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.

a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है । Documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 should be issued only in bilingual form:

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाएं। पिछली तिमाही में 30 कागजात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए और उन सभी कागजातों को हिन्दी में भी जारी किए गए |

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. During the previous quarter 30 papers were issued under section 3(3) of OL Act, 1963 and all those papers were issued in Hindi too.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, राजभाषा अनुभाग

Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn., Vigilance sections, PRO, OL Section

b. निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा राजभाषा निरीक्षण /OL Inspection by DGPM, New Delhi:-

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 23.08.2022 को निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा आयुक्तालय का राजभाषा निरीक्षण ऑनलाइन माध्यम से हुआ था | निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है |

The Committee was informed that Official Language Inspection of the Commissionerate was conducted by DGPM, New Delhi on 23.08.2022 online. The review report of the inspection has not been received yet.

c. सूरत, गुजरात में हिंदी दिवस उद्घाटन तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन / Hindi Diwas Inauguration and Second All India OL Conference at Surat, Gujarat :-

समिति को सूचित किया गया कि आयुक्तालय के वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने दिनांक 14,15 सितम्बर,2022 को सूरत, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस उद्घाटन एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन में भाग लिया |

The Committee was informed that_Senior Translation Officer of the Commissionerate participated in the Hindi Diwas Inauguration and second All India OL Conference at Surat, Gujarat on 14th & 15th September,2022.

d. हिंदी पखवाड़ा समारोह,2022 / Hindi Fortnight Celebrations 2022

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 19.09.2022 से 29.09.2022 तक केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय में लेखा परीक्षा एवं अपील आयुक्तालयों के साथ संयुक्त हिंदी पखवाड़ा मनाया गया |

The Committee was informed that Joint Hindi Fortnight Celebrations 2022 organized at Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate along with Audit and Appeals Commissionerates from 19.09.2022 to 29.09.2022.

e. प्रथम राजभाषा सम्मलेन, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र / 1st OL Conference, Thiruvananthapuram Zone

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक **30.09.2022** को संयुक्त हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह एवं तिरुवनंतपुरम क्षेत्र का प्रथम राजभाषा सम्मलेन कोच्चि में आयोजित किया |

The Committee was informed that Valedictory function of the Joint Hindi Fortnight and 1st OL Conference of the Thiruvananthapuram Zone was organized at Kochi on 30.09.2022.

f. क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार(दक्षिण -पश्चिम)/ Regional Rajbhasha Award(South-West)

समिति को सूचित किया गया कि केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को वर्ष **2020-21** का क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार(दक्षिण –पश्चिम) तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है |

The committee was informed that the Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate has received the third place in the Regional Rajbhasha Puraskar for the year 2020-21.

II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the quarterly report :-

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई । वे इस प्रकार है:-

पिछली तिमाही (2022 अप्रैल,मई,जून) में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 39.6%

वर्तमान तिमाही (2022 जुलाई,अगस्त सितम्बर) में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 40.5%

यथाक्रम दिनांक 30.06.2022, 30.09.2022 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -50%-59.09%, ख-शून्य पत्राचार-60%, ग - 51.2%- 50.9% ।

The Committee was informed percentage of Hindi noting and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows :-

Percentage of Hindi noting in previous quarter(April,May,June) –39.6%
Percentage of Hindi noting in current quarter(July,August,September) –40.5%

A-50%-59.09,B-Nil correspondence-60%, C-51.2%-50.9% for the quarters ending on 30.06.2022,30.09.2022 respectively.

सभी 7 मंडल कार्यालयों के हिंदी पत्राचार और टिप्पणियों के प्रतिशत पर विस्तृत चर्चा भी की गई और सभी मंडल प्रमुखों को द्विभाषी पत्रों की फोर्मटिंग सम्बंधित निर्देश दिए गए। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि ई ऑफिस में उपलब्ध हिंदी टिप्पणियों का उपयोग करें| अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि मुख्य आयुक्त कार्यालय जैसे उच्च कार्यालयों को जाने वाली रिपोर्ट जैसे नेमी पत्रों को द्विभाषी रूप में भेजा जाएं ताकि हिंदी पत्राचार बढाया जाएं | अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभाग /मंडल कार्यालय प्रमुख उप/सहायक आयुक्तों को यह निदेश भी दिया कि वे हर महीने की 10 तारीख तक राजभाषा मासिक रिपोर्ट राजभाषा (हिंदी) अनुभाग मुख्यालय को भेजे |

A detailed discussion on the percentage of Hindi Correspondence and Notings of all 7 divisions were also conducted and given directions to all divisional heads on formatting o bilingual letters. The Chairman directed to make use of the Hindi notes available in e-office. The Chairman directed to send routine letters like reports to higher offices like CCO may be sent in bilingual form so that Hindi correspondence may be increased. The Chairman all directed all Section /Division in charge DCs/ACs to send the monthly OL reports by the 10th of every month to OL(Hindi) section, Hqrs.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

III विविध/Miscellaneous :-

अगली तिमाही के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/ Proposed programme for the next Quarter:-

1. **राजभाषा निरीक्षण समीक्षा रिपोर्ट की अनुपालन रिपोर्ट |(अनुभाग व मंडल कार्यालय)/Compliance report of the OL Inspection reviews.(Sections & Divisions)**

   अध्यक्ष ने एर्णाकुलम मंडल प्रमुख उप आयुक्त को तथा सतर्कता /गोपनीय /प्रशासन /स्थापना अनुभागों

को छोड़कर मुख्यालय के बाकि सभी अनुभाग प्रमुखों को निदेश दिया कि वे राजभाषा निरीक्षण के समीक्षा रिपोर्ट की अनुपालन रिपोर्ट जल्द से जल्द हिंदी अनुभाग,मुख्यालय को भेजें |

The Chairman directed the Head Deputy Commissioner,Ernakulam Division and all section Heads of the Headquarters except the Vigilance / Confidential / Administration / Establishment Sections to send the compliance report of the review report of Official Language Inspection to the Hindi Section, Headquarters as soon as possible.

कार्रवाई:उपर्युक्त अनुभाग/एर्णाकुलम मंडल Action: Above said Sections/Ernakulam Division

2. **रिपोर्टों का द्विभाषीकरण/ Bilingualisation of reports**

अध्यक्ष ने निदेश दिया कि न्यायानिर्णयन और लेखा परीक्षा अनुभागों से उच्च कर्यालयों को भेजी जाने वाली रिपोर्टों का द्विभाषीकरण किया जाए |

The Chairman directed that the reports sent to the Higher offices from the Adjudication and Audit Sections may be bilingualized.

कार्रवाई:न्यायनिर्णयन और लेखा परीक्षा अनुभाग/ Action: Adjn.& Audit Sections

3. **Publishing departmental e-magazine –e-Kairali**

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को आयुक्तालय की ई-पत्रिका - "ई-कैरली" के लिए एक महीने के अन्दर रचनाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

The Chairman directed all members to contribute articles for the Commissionerate's e-magazine –"e-Kairali" within one month.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/ मंडल Action: All Sections/Divisions

4. **एक पूर्ण दिवसीय ऑनलाइन राजभाषा कार्यशाला / A full –day online Official Language Workshop**

अध्यक्ष ने निदेश दिया कि नवम्बर,2022 महीने में एक पूर्ण दिवसीय ऑनलाइन राजभाषा कार्यशाला आयोजित करें |

The Chairman directed that a full –day online OL workshop may be organized in the month of November,2022.

कार्रवाई:राजभाषा अनुभाग/ Action: OL Section

IV सुझाव /Suggestions

1. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सुझाव दिया कि सभी नव नियुक्त अधिकारियों को यह निदेश दिया जा सकता है कि वे अपने बैज, बिल्ला आदि का उपयोग द्विभाषी रूप में ही करें | अध्यक्ष महोदय ने उस सुझाव पर अपनी सहमती दी |

The Senior Translation Officer suggested that all the newly appointed officers may be directed to use their badges, billas etc. in bilingual form only. The Chairman agreed to the suggestion.

सदस्यों से और कोई सुझाव न मिलने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक पूर्वाहन 11.30 बजे समाप्त हुई |

As no other suggestion came from the members the meeting ended at 11.30 am with vote of thanks to the Chair.

Signed by Dr. Harish J
Date: 02-11-2022 10:44:37

जे.हरीश/ J.HARISH

संयुक्त आयुक्त (राजभाषा) / JOINT COMMISSIONER (OL)